

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12182/2025

Raees Mohammad @ Raees Gurjar S/o Babu @ Ali Hussain, Aged About 30 Years, R/o Dhakdo And Fakiro Ka Mohalla, Mandita, Police Station Sangod, District Kota, Presently 144, Sanjay Nagar Kaithun, Police Station Kaithun, District Kota. (At Present Confined In Central Jail Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12183/2025

Ajauddin @ Kaju S/o Kamaruddin, Aged About 25 Years, R/o Islam Nagar, Police Station Deolimanjhi, District Kota. (At Present Confined In Central Jail, Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitin Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना दैओली मांझी, जिला कोटा ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019) में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दो पृथक—पृथक प्रार्थनापत्र पेश किए गए हैं।

दोनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका निवेदन है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण रईस मोहम्मद एवं अजाउद्दीन क्रमशः दिनांक 04.08.2025 व दिनांक 06.08.2025 से अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक के द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने दोनों पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण रईस मोहम्मद एवं अजाउद्दीन क्रमशः दिनांक 04.08.2025 व दिनांक 06.08.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा कार्यवाही में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक प्रार्थी पचास-पचास हजार रुपये का बन्ध-पत्र एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा तो प्रार्थीगण-अभियुक्तगण रईस मोहम्मद एवं अजाउद्दीन को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J